न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 311/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्टस
घमूराम पुत्र श्री नारायणराम जाति विश्नोई, निवासी– भीमसागर बेरा, सामराऊ, तहसील औसिया, हाल निवासी पलीना, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।		01–किसनी पुत्री स्व0 धनाराम पत्नी श्री हरीराम जाति विश्नोई निवासी नोसर तहसील औसिया 02–नैनी पुत्री स्व0 धनाराम पत्नी श्री रामलाल जाति विश्नोई निवासी पांचला तहसील खींवसर जिला नागौर 03–झमकु पुत्री स्व0 धनाराम के का0मु0 03/1 रामरख पुत्र श्री खेराजराम 03/2 मोमराज पुत्र श्री खेराजराम 03/3 किसनी पुत्री श्री खेराजराम 03/4 दोपी पुत्री खेराजराम सभी जाति विश्नोई निवासी भाखरी तहसील औसिया 04–तेजाराम पुत्र श्री सुरजराम के का0मु0 4.1 श्रीमती बरजू पत्नी स्व.श्री तेजाराम 4/2 हनुमानराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/3 पांचाराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/4 किशनाराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/5 गोपीराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/6 पप्पूराम पुत्र स्व0 श्री तेजाराम 4/7 शायरी पुत्री स्व0 श्री तेजाराम 4/8 शान्ति पुत्री स्व0 श्री तेजाराम 4/9 रामप्यारी पुत्री स्व0 श्री तेजाराम 05–लाखाराम पुत्र श्री सुरजनराम के का0मु0 5/1 हरीराम पुत्र स्व0 श्री माणकराम 5/2 भगवानाराम पुत्र श्री माणकराम 5/3 आशाराम पुत्र स्व0 श्री माणकराम 5/4 पारसराम पुत्र स्व0 श्री माणकराम 5/5 खेताराम पुत्र स्व0 श्री लाखाराम 5/6 सहीराम पुत्र स्व0 श्री लाखाराम 5/7 गोपालराम पुत्र स्व0श्री लाखाराम 5/8 श्रीमती बगतू पत्नी श्री लाखाराम सभी जाति बिश्नोई निवासी ग्राम पलीना तहसील फलोदी जिला जोधपुर 06–हीरकनराम पुत्र श्री सुरजनराम 07– भाखरराम पुत्र श्री सुरजनराम फौत के का0मु0 7/1 मांगीलाल पुत्र स्व0श्री भाखरराम 7/2 भंवरलाल पुत्र स्व0श्री भाखरराम

		7/3 गोमती पत्नी स्व0श्री भाखरराम –फौत के का0मु 7/3/1 भीखा पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री नारायणराम जाति विश्नोई निवासी धोलासर तहसील फलोदी 7/3/2 एलची पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी मूलराज–डाबर, लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर 7/3/3 स्वरूपी पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री सोहनपाल सिंह जाति बिश्नोई निवासी धोलासर तहसील फलौदी 08 कुशलाराम पुत्र श्री नारायणराम 09 तुलछाराम पुत्र श्री नारायणराम 10 हीराराम पुत्र श्री रणजीताराम प्रत्यर्थी संख्या 8 से 10 जाति विश्नोई निवासी पलीना तहसील लोहावट जिला जोधुपर 11 राज.राज्य द्वारा तहसीलदार लोहावट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.09.1986 जो राजस्व अपील संख्या 43/1979 अनवान किसनी बनाम चुनी वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी, फलोदी के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री हुकमाराम, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,3 की ओर से ।
3– श्री किसनाराम, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2,5,7 की ओर से ।
4– श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4,6 की ओर से।
2– रेस्पो0 संख्या 8,9,10 बावजूद नोटिस तामीली/सूचना के अनुपस्थित
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–08–2022

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 धना पुत्र समेल अकेले की खातेदारी की भूमि ग्राम पलीना में ख0 न0 105 रकबा 322 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 104 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 61 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 327 बीघा 14 बिस्वा

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ग ख0न0 763 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 321 रकबा 201 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 324 रकबा 20 बीघा, कुल रकबा 269 बीघा 12 बिस्वा मे धन्ना पुत्र समेला की 1/4 हिस्से की खातेदारी की थी तथा ख0न. 63 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 98 रकबा 61 बीघा 7 बिस्वा, कुल रकबा 90 बीघा 3 बिस्वा मे धना पुत्र समेला का 1/2 हिस्सा खातेदारी मे था। इसके बाद खातेदार धन्ना का संवत 2021 में देहान्त हो गया तथा धन्ना के देहान्त उपरान्त उपरोक्त भूमि का कौतेदगी नामा. संख्या 126 दिनांक 20.11.1965 को धन्ना की धर्मपत्नी श्रीमती चुनी के नाम दर्ज किया गया तथा श्रीमती चुनी काबिज खातेदार काश्तकार हो गयी।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में यह भी कथन किया कि चुन्नी पत्नी स्व0 धन्नाराम ने दिनांक 12.04.1977 को उपरोक्त खसरा संख्या 105 रकबा 322 बीघा 8 बिस्वा मे से उतर–पूर्व की तरफ की 100 बीघा भूमि अपीलार्थी व उसके भाई तुलछाराम को बेचानकर कब्जा सौंप दिया तथा इसी खसरा के 100 बीघा भूमि उसी दिन प्रत्यर्थी कौशलाराम को बेचान कर दस्तावेज पंजीयन करवाया। इसके अलावा दिनांक 10.09.1979 को श्रीमती चुनी ने हीराराम पुत्र रणजीताराम को ख0न0 63 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 98 रकबा मे से 16 बीघा 5 बिस्वा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.09.1979 को बेचान कर कब्जा सौंप दिया तथा भूमि उक्तानुसार खरीददारान के नाम नामांतकरण होकर खातेदारी दर्ज हो गयी।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त बेचान होने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 किसनी ने दिनांक 24.10.1979 उपरोक्त नामा. संख्या 126 के पारित होने के 14 वर्ष पश्चात श्रीमती चुनी तथा उससे भूमि के खरीददार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 8 से 10 के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे प्रथम अपील संख्या 43/1979 प्रस्तुत की। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील को अपने आदेश दिनांक 02.09.1986 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 126 को निरस्त कर मामला तहसीलदार फलोदी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दे दिया। उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के आदेश दिनांक 02.09.1986 के व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ अदालत के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1986 न्याय, नियम व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं क्योंकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के खरीददार यानि अपीलार्थीगण को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार प्रत्यर्थी बनाया गया, उक्त अपील की सुनवाई का नोटिस

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मान अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ तथा उसका नोटिस विधिक रूप से तामील करवाये
था सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त क
योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील नामा0 संख्या 126
स्वीकृत होने के 14 वर्ष पश्चात पेश की गई थी तथा अपील के साथ म्यादमाफी का प्रार्थना प
प्रस्तुत किया गया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने म्याद बिन्दू पर किसी प्रकार का निर्णय दिये बि
ही अपील को सीधे स्वीकार कर लिया गयां जबकि म्याद बाबत पहले निर्णय लिया जाना था
अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष म्याद बिन्दू के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कार्यालय की गलत रिपो
कर अपील को म्याद में होने का लिख दिया गया। कार्यालय रिपोर्ट का पत्रावली से मिलान किये
बिना अपील में अग्रसर होने की तमाम प्रकिया विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं
ऐसे में प्रथम अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 की माता श्रीमती चुनी
क्त भूमि में से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के पूर्ण कीमत लेकर अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों
नान्तरण कर दिया, श्रीमती चुनी के द्वारा भूमि का बेचान करने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3
आज तक उक्त बेचान पर कोई विरोध नहीं किया, जो चुनी के बेचाननामों से पाबन्द है तथा
उक्त निष्पादित बेचाननामों को रद्द करवाये बिना, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को भूमि पर कोई
हक–अधिकार नहीं बन सकते है, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित
किया गया है वो विधि विपरित होने से निरस्त किया जावें। वकील अपीलांट ने यह भी कथन
किया कि नामा0 संख्या 126 पर ग्राम पंचायत द्वारा जॉच नहीं करने का गलत निष्कर्ष दिया है,
जबकि ग्राम पंचायत ने श्रीमती चुनी की हाजरी में वार्ड पंच रणजीताराम के द्वारा मृतक खातेदार
धना के खेतो की हकदार उनकी पत्नि चुनी काबिज होने के बयान देने पर ही पारित किया गया
था। तत्समय में रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई उज्रएतराज नहीं किया।
ऐसे में अपीलीय न्यायालय को भी कोई अधिकार नहीं था कि वे उसमें हस्तक्षेप करते।

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत की गई इस द्वितीय अपील के संलग्न म्याद प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किया
जावें। तथा उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं उपखण्ड
अधिकारी, फलौदी के द्वारा रेस्पो0 संख्या की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील पर पारित अपीलाधीन
आदेश दिनांक 02.09.1986 को निरस्त किया जाने एवं नामा0 संख्या 126 ग्राम पलीना स्वीकृत
दिनांक 20.11.1965 को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके ओर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील में यह कथन अंकित किये गये थे कि मृतक खातेदार धना की खातेदारी की उपरोक्त खसरान भूमि ग्राम पलीना में आई हुई थी। खातेदार धना के देहान्त उपरान्त वादग्रस्त भूमि में उनकी पत्नि चुनी के नाम नामा0 संख्या 126 दर्ज हुआ है। उक्त नामा0 कभी भी ग्राम पंचायत की किसी बैठक में प्रस्तुत नहीं और न ही ग्राम पंचायत पलीना ने अपनी स्वीकृति नामा0 पर दी हैं। उक्त नामा0 दर्ज करने से पूर्व खातेदार धना के विधिक वारिसान की कोई जॉच कार्यवाही ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं गई जबकि तत्समय में उनकी पुत्रियॉ भी मौजूद रही है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनकी उत्तराधिकारी है। ग्राम पंचायत की ओर से भी हम रेस्पो0 यानि धना की पुत्रियों को किसी प्रकार से सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त सरपंच एवं वार्ड पंच रणजीताराम को बिना ग्राम पंचायत स्वीकृति के नामा0 स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे में उपरोक्त आधारों पर स्वीकृत नामा0 Abintio void होने से निरस्त होने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर तत्समय लेकर आज तक मृतक खातेदार धना की पत्नि चुनी के अतिरिक्त किसनी, झमकू व सभी पुत्रियों का शामलाती कब्जा चला आ रहा है एवं नामा0 स्वीकृति के समय भी हम सभी का शामलाती कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत ने कब्जे बाबत भी कोई जॉच कार्यवाही नहीं की गई। हम रेस्पोडेन्टस को यही भान रहा कि उनके पिता के देहान्त उपरान्त उनकी माता के साथ उनका नाम भी नामा0 में दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया होगा, लेकिन उक्त शामलाती भूमि में दिनांक 25.9.79 को जब भाकराराम पुत्र सुरजनराम निवासी पलीना को ग्राम पलीना में कहा गया कि उक्त भूमि का नामा0 में केवल मात्र चुनी का ही नाम दर्ज किया गया है उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। तब रेस्पोडेन्टस दिनांक 26.9.79 को जोधपुर पहुंच कर दिनांक 19.10.79 को उक्त नामा0 की नकले प्राप्त की गई जब उन्हें उक्त नामा0 स्वीकृत हो जाने की जानकारी हुई और इस आधार पर अपील के संलग्न प्रस्तुत किये गये म्याद प्रार्थना पत्र में अपील को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार किये जाने का भी निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्टस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया कि उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि में से अलग–अलग समय में कई व्यक्तियों को उनकी माता चुनी की ओर से पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से बेचान हुआ है परन्तु अभी तक इनके हक में नामा0 स्वीकृत नहीं किये गये है। इसलिये इन्हें इस अपील में पक्षकार बनाया गया है और अन्य व्यक्ति जो इस भूमि में शामलाती खातेदार है, उन्हें भी पक्षकार संस्थित किया गया है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा इन्हीं सब आधारों पर अपने पक्ष में अपील को स्वीकार करने एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 126 को निरस्त

वरि० हस्मानाथ ठाकुर
जोधपुर

ने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील दिनांक 02.09.1986 को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन विरासत नामा0 संख्या 126 को निरस्त करते हुए खातेदार धन्ना पुत्र समेला के वारिसान की पूर्ण जॉच कर पुनः नामा0 की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार फलौदी को दिये गये थे।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई अपील के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्टस की ओर से यह निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार धना के देहान्त उपरान्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नि के अलावा उनकी तीन पुत्रिया कमशः किसनी, नैनी, झमकू भी थी। श्रीमती चुनी पत्नि धन्ना और झमकू तथा भाखराराम का देहान्त हो चुका है। श्री धन्नाराम के देहान्त उपरान्त केवल मात्र उनकी पत्नि चुनी के नाम विरासत नामा0 संख्या 126 ग्राम पलीना स्वीकृत हुआ।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा तहसीलदार फलौदी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश पारित किये जाने पर तहसीलदार फलौदी के प्रकरण संख्या 74/87 किसनी बनाम चुनी वगैराह दर्ज करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 24.11.2015 के द्वारा स्व0 धन्ना पुत्र समेला के देहान्त उपरान्त स्वीकृत नामा0 संख्या 126 के पूर्व की रेकर्ड स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नवीन विरासत का नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि गलत बटटा नम्बरान से अलग–अलग खातों में अंकित रकबा की भूमि मूल खसरा एवं मूल रकबा में बरामद कर प्रार्थीया किसीनी, अप्रार्थीया संख्या 2 नैनी, अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/4 के नाम नामा0 में अंकित कर एवं चुनी पत्नि धन्ना के द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये गये विक्रय के बाद केता खातेदार के नाम चुनी के हिस्से तक विक्रय अनुसार नामान्तरकरण खोला जावें।

रेस्पो0 संख्या एक किसनी के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम राजस्व अपील एवं अपील में पारित रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार फलौदी के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एवं श्रीमती चुनी के द्वारा उनके हक–हिस्से तक बेची/विक्रय की गई भूमि के अनुसार नामा0 दर्ज करने के जो आदेश दिया गया है और उसके अनुसार स्वीकृत हुए नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया है, वो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है वह पूर्ण रूप से सारहीन है क्योंकि रेस्पो0 के द्वारा

अपने पिता की खातेदारी भूमि में से उनकी पुत्रीयां होने के नाते अपने हक–हिस्से की भूमि प्राप्त करने हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के समक्ष अपील की थी, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी फलौदी ने रेस्पो0 की ओर से पेश अपील को स्वीकार करने योग्य मानते हुए ही अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार फलौदी को आदेश पारित किया गया था। अगर स्व0 धन्ना के देहान्त उपरान्त स्वीकृत विरासत के नामा0 संख्या 126 में अंकित वादग्रस्त भूमि में से उनकी माता चुनी की ओर से अपीलार्थीगण को और अन्य व्यक्तियों को माता चुनी के हक–हिस्से से ज्यादा का बेचान होकर भूमि क्रय की है तो उसके लिये रेस्पोडेन्टस यानि उनकी पुत्रियॉ के बंट में आ रही भूमि को खरीदना ही नहीं था। क्योंकि रेस्पोडेन्टस के हक–हिस्से वाली भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार अकेले माता चुनी को था ही नहीं। इन हुए बेचानों के सम्बन्ध में रेस्पो0 कतई जिम्मेवार नहीं थी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की द्वितीय अपील को अस्वीकार किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 02.09.1986 को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान के पक्ष में नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही बाबत जो आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत बताते हुए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा प्रथम अपील संख्या 43/1979 को दिनांक 02.09.1986 को अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पलीना के द्वारा पारित नामा0 संख्या 126 ग्राम पलीना स्वीकृति दिनांक 20.11.1965 को खारिज करते हुए तहसीलदार फलौदी को इस मामले में मृतक,खातेदार स्व0 धनाराम के वारिसान की पूर्ण जॉच करने हेतु रिमाण्ड किया गया है।

न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई द्वितीय अपील अधिनस्थ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1986 के विरूद्ध विलम्ब से पेश की गई है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से अपील के संलग्न म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अपील

अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत यह कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना हीं पारित किया गया है, अपीलार्थी को प्रथम अपील का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था और न ही अपीलार्थी से प्रथम अपील का नोटिस तामील करवाया गया था। इसके बाद तहसीलदार फलौदी के न्यायालय में वर्ष 1987 में दर्ज रिमाण्ड प्रकरण को वर्ष 2012 में पुनर्जिवित कर वर्ष 2015 में निर्णय पारित कर दिया गया व अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन आदेश की अपीलार्थी को जानकारी नहीं हुई। पटवारी हल्का पलीना ने अपीलार्थी को दिनांक 23.12.2015 को उसकी खरीदशुदा भूमि पर रेस्पो0 संख्या एक किसनी वगैराह का नाम दर्ज करने का तहसीलदार फलौदी के आदेश बाबत अवगत कराया तथा उसकी पालना में नामा0 करने की बात बताई, तब अपीलार्थी के द्वारा 30.12.15 को फलौदी तहसील कार्यालय से नकले प्राप्त करने की कार्यवाही की गई, जब जानकारी हुई। जिसके पश्चात जोधपुर आकर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई व अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त उल्लेखित किये गये कथनों, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों एवं न्याय करने की भावना के अनुरूप अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत हुई प्रथम अपील की मूल पत्रावली, मूल निर्णय इत्यादि का गहनता से अवलोकन करने से यह भी पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में अपीलाधीन नामा0 आदेश जो दिनांक 20.11.1965 को ग्राम पंचायत पलीना के द्वारा पारित किया गया है, के विरूद्ध लगभग 14 वर्ष पश्चात वर्ष 1979 में प्रस्तुत की गई है, अपील पेश करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में म्याद अवधि बाबत अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया है कि अपील किस आधार पर अन्दर म्याद शुमार हुई, इसके अतिरिक्त अपील पर कार्यालय रिपोर्ट में भी अपील को अन्दर म्याद पेश करना दर्शाया है जो भी संदेहास्पद श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम अपील के म्याद बिन्दू को निर्धारित करते। रेस्पो0 के पिता का देहान्त वर्ष 1965 में हो जाने के उपरान्त वर्ष 1965 से 1979 के मध्य तक राजस्व रेकर्ड में हुए इन्द्राज की जानकारी नहीं होना भी स्वीकार करने/मानने योग्य नहीं है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण पाया गया है।

दोयम अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से जिन–जिन व्यक्तियों को रेस्पो0 पक्षकार बनाया गया है उनको जो नोटिस जारी किये गये है, वह विधिवत तामील नहीं करवाये गये है एवं न ही उक्त रेस्पोडेन्टस को अपना

रखने/सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना पाया गया है जबकि रेस्पोडेन्टस पक्षकार ...र्ता वादग्रस्त भूमि में से जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज से भूमि क्रय कर जरिये नामान्तकरण के राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हो गये थे, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पो0 संख्या 2 ता ... तथा 9 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाना प्रकट हैं। जिसे उन हितबद्ध व्यक्तियों के हक–हकूकों पर कुठाराघात हुआ है। इसके अतिरक्त अपीलाधीन आदेश में उन खरीददारान/हितबद्ध पक्षकारान के हक–हकूकों के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखने योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में सभी पक्षकारान की सुनवाई का हवाला नहीं दिया गया है, मात्र तहसीलदार फलौदी को मृतक खातेदार धनाराम के वारिसान की जॉच के लिये आदेश/निर्देश दिये गये है तथा जॉच पश्चात क्या कार्यवाही की जानी है तथा उनकी माता चुनी देवी की ओर से वादग्रस्त भूमि के हुए अलग–अलग बेचान के पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किये गये नामा0 के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण हैं।

अधिनस्थं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई प्रथम अपील में वर्ष 1965 में स्वीकृत अपीलाधीन नामा0 को चुनौती दी गई है। मृतक खातेदार धनाराम की पुत्रियों की शादी वर्ष 1956 से पहले होना अपील में प्रतिवेदित किया गया है। तत्समय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में नहीं था।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम(संशोधित), 2005 की धारा 6 के सब सेक्शन 1(C) अनुसारः–

> "Provived that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004."

उपरोक्त समस्त घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में, अपील में हुई बहस पर मनन करने, उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं यथोचित न्याय किये जाने की मंशा के अनुरूप हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.1986 विधि विपरित होने, एकपक्षीय प्रतीत होने, राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति के विपरित पारित होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह

प्रति० सम्माननीय ... जोधपुर

ीय अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के ा अपील संख्या 43/1979 में पारित आदेश दिनांक 02.09.1986 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर